न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 11/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/45

प्रार्थीः– **बनाम** **अप्रार्थीगण :–**

धर्माराम पुत्र देवाराम जाति गुर्जर निवासी गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली

1. पतासी देवी पत्नी पेमाराम जाति गुर्जर निवासी गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली
2. भुण्डाराम पुत्र पेमाराम जाति गुर्जर निवासी गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली
3. बाबुलाल पुत्र पेमाराम जाति गुर्जर निवासी गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली
4. नेमाराम पुत्र पेमाराम जाति गुर्जर निवासी गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली
5. उगमाराम पुत्र पेमाराम जाति गुर्जर निवासी गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली
6. राधा पुत्री पेमाराम जाति गुर्जर निवासी गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली
7. ग्राम पंचायत गुड़ाबींजा तहसील सोजत जिला पाली जरिये सरपंच

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूसिंह भाटी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत गुड़ाबींजा द्वारा मिसल संख्या 05/1984, प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 10.07.1985 एवं उसकी पालना में पेमाराम पुत्र डायाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5 दिनांक 11.07.1985 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के पिता तथा पट्टाधारक पेमाराम सगे भाई थे

अति. जिला कलक्टर, पाली

तथा जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है। उक्त पैतृक सम्पत्ति का बिना कोई बंटवाड़ा किये अप्रार्थी के पिता/पति नें ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर अपने पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत गुड़ाबींजा द्वारा मिसल संख्या 05/1984, प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 10.07.1985 एवं उसकी पालना में पेमाराम पुत्र डायाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5 दिनांक 11.07.1985 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि प्रश्नगत जैर आराजी पुश्तैनी प्रकृति की थी, जिसमें पट्टाधार के साथ–साथ प्रार्थी के पिता का भी हक–हिस्सा था और यह भी कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता/पति ने बिना किसी विधिवत बंटवारे के सम्पूर्ण जैर आराजी को अपने पक्ष में दर्शाकर ग्राम पंचायत से प्रश्नगत पट्टा प्राप्त कर लिया, जो कि अवैध एवं प्रार्थी के अधिकारों के प्रतिकूल हैं। उक्त कथनों के परीक्षणार्थ पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा इस आधार पर जारी किया गया कि पट्टाधार का उक्त भूमि पर पुश्तैनी कब्जा होना माना गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई विश्वसनीय दस्तोवज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, जिससे यह जाहिर हो सके कि जैर आराजी पर प्रार्थी के पिता का कोई विधिसम्मत हक–हिस्सा विद्यमान था तथा प्रश्नगत भूमि पर उनका पूर्व से कोई कब्जा हो। ऐसी स्थिति में केवल मौखिक कथनों के आधार पर प्रार्थी के हक–अधिकारों को प्रामणित नहीं माना जा सकता। यदि प्रार्थी को यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत आराजी पर उनका वैधानिक हक–अधिकार या हिस्सेदारी विद्यमान है, तो वे अपने अधिकारों के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के अन्तर्गत इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल ग्राम पंचायत के आदेश की विधिकता, औचित्य एवं प्रक्रिया की जांच करना है, न कि भूमि पर पर स्वामित्व अथवा हिस्सेदारी के अधिकारों की घोषणा करना। अतः जैर निगरानी याचिका की आड़ में प्रश्नगत पट्टे पर प्रार्थी के पक्ष में अधिकारों का सृजन अथवा घोषणा नहीं की जा सकती।

जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है, जिसके अनुसार नियम 256 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ नक्शा तैयार करने के व्यय पेटे दो रूपये की राशि जमा करानी होगी। इसके पश्चात नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जायेगा एवं नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा पंचों द्वारा "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 259 के तहत अस्थायी निर्णय करने एवं नियम 260 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

के प्रावधान है। नियम 260 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 261 के तहत प्रदत्त हैं। नियम 262 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनविक्रय के प्रावधान है एवं नियम 264 के तहत नीलामी की प्रक्रिया उल्लेखित है व नियम 265 के तहत किये गये नीलाम की पुष्टि के प्रावधान है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण एवं भूमियों का निःशुल्क आंवटन के प्रावधान नियम 267 में उल्लेखित है। नियम 268 के तहत हस्तान्तरण तथा आवंटन अनुमोदनाधीन एवं आबादी का विक्रय से अपवर्जन के प्रावधान नियम 269 में प्रदत्त है। किसी आबादी भूमि का नियम 263 के तहत भुगतान कर दिया जाने, नियम 265 नीलामी की पुष्टि करने और नियम 270 के अधीन कोई अपील नहीं होने की स्थिति में नियम 271 के तहत विक्रय–विलेख ज़ारी किये जाने क़ा प्रावधान है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 268 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष पेमाराम द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, उस पर न तो भूमि के पड़ौस वर्णित है, न ही उसका क्षेत्रफल अंकित है और न ही कोई नक्शा संलग्न है साथ ही उक्त प्रार्थना–पत्र कब प्रस्तुत किया गया, जिससे भूमि की स्थिति एवं सीमाओं का समुचित निर्धारण किया जा सके, जो कि नियम 256(1) में वर्णित प्रावधानों की पूर्ण अवहेलना है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रार्थना–पत्र पर उसके प्रस्तुत किये जाने की कोई दिनांक भी अंकित नहीं पाई गई है, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि उक्त प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र पर विचार करते समय आवश्यक तथ्यात्मक एवं अभिलेखी विवरणों का समुचित परीक्षण किये बिना ही कार्यवाही की गई, जबकि पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में भूमि के क्षेत्रफल, सीमाओं पड़ौस तथा स्थल का स्पष्ट निर्धारण होना आवश्यक होता है, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही आवेदनकर्त्ता द्वारा नियम 256(2) में वर्णितानुसार निर्धारित शुल्क भी ग्राम पंचायत में जमा नहीं करवाई और न ही इसका कोई अभिलेख अथवा प्रमाण रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 25.07.1984 के माध्यम से प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण किये जाने हेतु दो पंचों को नामित किया गया जबकि प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार नियम 258(1) में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि ऐसे मामलों में स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचों को नामित किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार मौका निरीक्षण की कार्यवाही में नियमानुकूल प्रक्रिया का पालन किये बिना की गई प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में आवेदनकर्त्ता के कब्जे के सत्यापन के सम्बन्ध में नियमानुसार दो स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज नहीं किये गये। साथ ही ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह पाते है कि बैठक दिनांक 25.07.1984 में प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में आपत्ति नोटिस जारी किया जाना दर्ज है किन्तु उक्त दिनांक से सम्बन्धित मिसल की आदेशिका का परीक्षण करने पर इस आशय का कोई आदेश अंकित नहीं पाया गया। अतः अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकित विवरण तथा मूल मिसल की आदेशिका में दर्ज आदेशों के मध्य सामंजस्य का अभाव है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कार्यवाही का अभिलेखी संधारण विधिवत एवं सुसंगत रूप से नहीं किया गया। प्रकरण में आपत्ति नोटिस पर सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल गवाहों के हस्ताक्षर दर्ज है, उनकी भी वल्दियती अंकित नहीं है। और ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर केवल सरपंच के हस्तक्षार अंकित है जबकि सचिव के हस्ताक्षर हेतु निर्धारित स्थान रिक्त पाया गया है। सामान्यतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाले पट्टे पर सरपंच एवं सचिव दोनों के हस्ताक्षर होना अपेक्षित होता है, जिससे आदेश की वैधानिकता एवं प्रमाणिकता सुनिश्चित होती है परन्तु वर्तमान मामले में प्रश्नगत पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर का अभाव है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गुड़ाबींजा द्वारा मिसल संख्या 05/1984, प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 10.07.1985 एवं उसकी पालना में पेमाराम पुत्र डायाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5 दिनांक 11.07.1985 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत गुड़ाबींजा को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली